

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19552/2023

राकेश अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी
नाहर मोहल्ला, अजमेर। वर्तमान में, बलदेव नगर, माकड़वाई रोड, अजमेर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

- श्री मोजस एम सिंह पुत्र श्री पीडीएम सिंह, उम्र लगभग 84 वर्ष, सचिव द
एक्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन जनूबी एशिया, निवासी
नियर मदार रेलवे स्टेशन, मदार, अजमेर।
- श्री विलियम पोर्टर पुत्र श्री एडविन पोर्टर, मैसर्स विलियम पोर्टर एंड एसोसिएट्स,
63 ए, डीडीए एलआईजी फ्लैट, गुलाबी बाग, दिल्ली।
- सब-रजिस्ट्रार, जयपुर रोड, अजमेर।
- द एक्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, कानूनी प्रतिनिधि रेवरान आर
अश्विनी फ्रांसिस जिला अधीक्षक द एक्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन
इंडिया के माध्यम से, पता 17, बुलवर्ड रोड (नित्यानंद मार्ग) बिशप हाउस, नई
दिल्ली। वर्तमान में, सेंट ल्यूक मदार चर्च कंपाउंड, अजमेर।

---प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राहुल अग्रवाल, अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

आदेश01/03/2024

1. यह याचिका प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत आवेदन को स्वीकार करने वाले दिनांक 06.11.2023 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता-वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खिलाफ उसमें वर्णित संपत्ति के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा दायर किया था। याचिकाकर्ता-वादी ने दिनांक 14.06.2021 के एक अपंजीकृत बिक्री समझौते पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से संपत्ति खरीदने का दावा करते हुए खुद को संपत्ति का मालिक और कब्जेदार बताया।
3. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 4 ने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन दायर किया और एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (संक्षेप में 'जीपीए') प्रस्तुत की। आगे यह तर्क दिया गया कि द एक्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया (इसके बाद 'चर्च')/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ घोषणा के लिए दायर किया गया मुकदमा लंबित है। आवेदन स्वीकार कर लिया गया। इसलिए, यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी है, और कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करने में गलती की।
5. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं है।
6. स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे में, याचिकाकर्ता ने खुद को दिनांक 14.06.2021 के बिक्री समझौते के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से संपत्ति खरीदने के बाद मालिक और कब्जेदार होने का दावा किया है। मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 4/चर्च के सचिव के रूप में पक्षकार बनाया गया है। सिविल कोर्ट ने सही विचार किया कि:
 - i. मुकदमे में की गई दलीलों के मद्देनजर कि संपत्ति चर्च के सचिव से खरीदी गई थी और प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ अन्य मुकदमा लंबित है।

- ii. मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 1 को चर्च के सचिव के रूप में पक्षकार बनाया गया है, और
 - iii. प्रतिवादी संख्या 4 संपत्ति का मालिक होने का दावा करता है और यह तर्क देता है कि आवेदक कानूनी प्रतिनिधि चर्च का अधिकृत प्रतिनिधि है और जीपीए प्रस्तुत किया है। इसलिए, कोर्ट ने माना कि मुकदमे में शामिल मुद्दे को तय करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार बनाना आवश्यक था।
7. चुनौती दिए गए आदेश में कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है।
8. याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/47

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़